उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट मय नक्शा दि. 29/3/2019 के अवलोकन से सारी स्थिति साफ हो जाती है। ख.नं. 698 गै.मु. आगोर है और उसी तक रास्ता A से B अपीलाधीन आदेश से दिया गया है। मौके पर प्रार्थी-रेस्पो. के खेत ख.नं. 685/2 से गै.मु. आगोर ख.नं. 698 तक पहुँच हेतु तीन स्पष्ट गै.मु. रास्ते मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. $\frac{685}{3}$ रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. $\frac{685}{4}$ रकबा 0.10 बीघा तथा ख.नं. $\frac{685}{5}$ रकबा 0.05 बीघा उपलब्ध हैं जो प्रार्थी के खेत से प्रारंभ होकर क्रम से ख.नं. 698 तक पहुंचते हैं। ख.नं. $\frac{685}{2}$ की उत्तरी सीमा पर ख.नं. $\frac{685}{3}$ वाला गै.मु. रास्ता है जो ग्रेवल सड़क चिकनीवाड़ी गै.मु. नाडा तक जाती है। विधि के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव और प्रार्थी की असुविधा के मापदण्डों पर प्रार्थी का प्रकरण खरा नहीं उतरता है। प्रार्थी के लिए बकायदा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै.मु. रास्ते उपलब्ध है इसलिए उसे अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते की आवश्यकता नहीं रह जाती है जब तक ख.नं. $\frac{685}{2}$ का विधिवत बंटवारा होकर इसी में कोई रास्ते का प्रावधान प्रत्येक खातेदार के भू-भाग तक पहुंच हेतु नहीं रखा जाय। फिलहाल प्रार्थी-रेस्पोंडेंट के लिए रास्ता स्पष्टतः उपलब्ध होने से अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत और उचित नहीं ठहरता है लिहाजा वह खारिज योग्य है जैसा कि प्रस्तुत नजीर से मार्गदर्शन मिलता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश, SDO फलोदी का प्रकरण सं. 373/17 बउनवान देवुराम बनाम धेवरराम दिनांक 11.4.2019 अपास्त किया जाता है। आदेश रूबरू इजलास सुनाया गया।

पत्रावली शामिल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर